

न्यायालय:- विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड

(समक्ष: पी0सी0आर्य)

विशेष प्रकरण क्रमांक: 10/2015

संस्थित दिनांक-01.09.2008

फाईलिंग नंबर-230303001652008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा-

आरक्षी केन्द्र गोहद चौराहा, जिला-भिण्ड (म0प्र0) -----अभियोजन

वि रू द्ध

1. रामूसिंह तोमर पुत्र उम्मेदसिंह उम्र 27 साल
निवासी शिवाजी नगर भिण्ड
2. विनोदसिंह पुत्र सुंदरसिंह भदौरिया उम्र 30 साल
निवासी शिवाजी नगर भिण्ड
3. अमृतलाल पुत्र गंगासिंह बघेले उम्र 39 साल
निवासी बस स्टेण्ड भिण्डआरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष अपर लोक अभियोजक
आरोपीगण द्वारा श्री टी0एन0 शुक्ला अधिवक्ता

-::-- निर्णय --::-

(आज दिनांक 27 मार्च 2015 को खुले न्यायालय में घोषित)

1. अभियुक्तगण रामू व विनोद के विरुद्ध के विरुद्ध धारा 25 आयुध अधिनियम 1959 एवं धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत एवं आरोपी अमृतलाल के विरुद्ध धारा-29,30 आयुध अधिनियम 1959 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप है कि दिनांक 04.06.2008 को 19.00 बजे दीखतन का पुरा में अभियुक्त रामू ने बिना वैध अनुज्ञप्ति के 315 बोर की बंदूक व तीन जिन्दा कारतूस तथा अभियुक्त विनोदसिंह ने अपने आधिपत्य में बिना अनुज्ञप्ति के 05 जिन्दा कारतूस रखे तथा अभियुक्त अमृतलाल ने यह जानते हुए कि आरोपी रामू और विनोद के पास अनुज्ञेय आयुध रखने की पात्रता नहीं है, उन्हें अपनी लायसेन्सी बंदूक और कारतूस परिदत्त कर लायसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया। तथा उक्त कृत्य सभी आरोपीगण ने डकैती प्रभावित क्षेत्र में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के प्रभावी रहते हुए किया।
2. अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि थाना प्रभारी गोहद चौराहा आशीषसिंह पंवार दिनांक 04.06.08 को रोजनामचासान्हा क्रमांक-123 पर मुखबिर द्वारा बदमाशों के ग्वालियर तरफ जाना बताया गया था जिस पर से उसने रोजनामचासान्हा क्रमांक-124 प्र0पी0-10 पर रवानगी दर्ज कर मय फोर्स रवाना होकर रेल्वे क्रॉसिंग पर पहुंचा। जहाँ पर दो लडके

एक काली पल्सर से आ रहे थे जिनमें एक लडका माउजर बंदूक लिये था, को रोका नहीं रुके तब उनका किसी मोटरसाईकिल से पीछा किया तो ग्वालियर रोड से दीखतनपुरा के खेतों की तरफ मोटरसाईकिल से भागे जिनको घेरकर पकड़ा। व नाम पता पूछा तो बंदूक वाले ने अपना नाम रामूसिंह तोमर व मोटरसाईकिल चलाने वाले ने अपना नाम विनोद सिंह भदौरिया निवासी शिवाजी नगर भिण्ड का बताया। रामू से बंदूक लेकर चैक की तो बंदूक नंबर-एबी04/0519 माउजर जिसको खोलकर देखा तो उसके चैम्बर में एक जिन्दा राउण्ड व मैगजीन से तीन राउण्ड जिन्दा निकले जिन्हें निकाला गया। व विनोद सिंह की कमर में एक बिल्डोरिया जिसमें 5 जिन्दा राउण्ड थे। दोनों से बंदूक व राउण्डों का लायसेन्स पूछा तो उन्होंने अपने पास लायसेन्स न होना बताया। तब अपराध धारा-25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का पाया जाने से आम जनता के साक्षी न होने से आरक्षक-311 रामनिवास, आरक्षक 182 मनोज के समक्ष अभियुक्त रामू से एक 315 बोर बंदूक मय तीन जिन्दा राउण्ड व विनोद से एक विल्डोरिया मय पांच जिन्दा राउण्ड व एक पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक- एम0पी0- 07/एमबी-3483 को जप्त किया जिनके जप्ती पत्र क्रमशः प्र0पी0-3 व 4 मौके पर जप्त किये गये और रामू व विनोद को गिरफ्तार कर उनकी गिरफ्तारी तक प्र0पी0-1 व 2 तैयार कर मय जप्तशुदा 315 बोर बंदूक, कारतूस व मोटरसाईकिल सहित आरोपीगण को थाने लाया गया।

3. थाना वापिसी पर रोजनामचासान्हा नंबर-125 प्र0पी0-9 पर वापिसी दर्ज करते हुए आरोपी विनोद व रामू को बंद हवालात किया। और जप्तशुदा सामग्री एच0सी0एम0 को सुपुर्द कर दी तथा अप.क्र.-97/08 धारा-25/7 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तथा जप्तशुदा 315 बोर बंदूक क्रमांक-एबी04-0519 आरोपी अमृतलाल की लायसेन्सी पाये जाने से आरोपी अमृतलाल द्वारा उन्हें वगैर अधिकार परिदत्त कर लायसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया जाना पाये जाने से उसे भी प्रकरण में सह आरोपी बनाते हुए वाद विवेचना धारा-29/30 आयुध अधिनियम का इजाफा करते हुए अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण रामू एवं विनोद के विरुद्ध धारा-25 आयुध अधिनियम 1959 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981, एवं आरोपी अमृतलाल के विरुद्ध धारा-29,30 आयुध अधिनियम 1959 एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में रंजिशन एवं पुलिस के कहने पर झूठा फंसाए जाने का आधार लिया है। उसकी ओर से बचाव में किसी साक्षी का कथन नहीं कराया गया है।

5. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1. क्या दिनांक 04.06.2008 को घटनास्थल डकैती प्रभावित क्षेत्र के अंतर्गत आता था?

2. क्या दिनांक 04.06.08 के शाम करीब 7.00 बजे ग्राम दीखतनपुरा के हार में अपने आधिपत्य में व संज्ञान में 315 बोर की बंदूक क्रमांक—एबी04/0519 जिसके चैम्बर में एक और मैगजीन में तीन जिन्दा कारतूस लगे थे, को वगैर वैध अनुज्ञप्ति के आधिपत्य में रखे पाया गया?
3. क्या आरोपी विनोदसिंह तोमर दिनांक 04.06.08 को शाम करीब साढ़े सात बजे दीखतनपुरा के हार में अपने आधिपत्य व संज्ञान में 315 बोर के पांच जिन्दा कारतूस फौजी कलर की विल्डोरिया में रखे हुए पाया गया?
4. क्या आरोपी अमृतलाल ने अपनी लायसेन्सी उक्त 315 बोर की बंदूक को सह अभियुक्त रामूसिंह तोमर को यह जानते हुए कि वह उसे रखने की पात्रता नहीं रखता है, परिदत्त कर बंदूक के लायसेन्स की शर्तों का उल्लंघन किया?
5. क्या आरोपीगण का उक्त कृत्य मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र 1981 की अनुसूची के खण्ड-4 के अंतर्गत निषेधित था?

—::—निष्कर्ष के आधार :—

विचारणीय प्रश्न क्रमांक— 1, 2, 3, 4 एवं 5 का निराकरण

6. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मनोज शुक्ला (अ0सा0 1), धर्मसिंह (अ0सा0 2), कल्याण शुक्ला (अ0सा0 3), योगेन्द्र कुशवाह (अ0सा0 4) रामनिवास दीक्षित (अ0सा05), गोपसिंह (अ0सा06), सुरेश दुबे (अ0सा07) टी0आई0 आशीषसिंह पंवार (अ0सा08) की साक्ष्य कराई है । आरोपीगण की ओर से बचाव साक्ष्य में किसी भी साक्षी की साक्ष्य नहीं करायी गयी है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी.—1 लगायत—प्रदर्श पी.—12 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं । तथा यह उल्लेखनीय है कि आरोप पत्र में छ ाटनास्थल वीरवतनपुरा का हार लिखा है जो मूल रूप से दीखतनपुरा का हार है इसलिये उसे टंकणीय त्रुटि मानकर सुधारे क्रम में आगे विश्लेषण में ग्राम दीखतनपुरा का ही उल्लेख निर्णय में किया जावेगा ।
7. इस संबंध में अभियोजन कथानक मुताबिक घटना दिनांक 04.06.08 की बताई गई है और पंजीबद्ध किये गये मामले में मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के अंतर्गत अपराध दर्ज किया गया है और यह बिन्दु विधिक स्वरूप का है। इस बिन्दु पर अ0सा0—8 आशीषसिंह पंवार ने अपने कथन के पैरा—5 में यह बताया है कि पुलिस विभाग की ओर से तत्समय आदेश प्राप्त हुए थे कि अवैध हथियारों की जप्त होने पर प्रकरण में उक्त अधिनियम की धाराओं का समाविष्ट किया जाये। इसलिये उसने उक्त धारा लगाई थी तथा यह स्वीकार किया है कि किसी ऐसे आदेश की प्रति प्रकरण में पेश नहीं की है। इस संबंध में तर्कों में अवश्य आरोपीगण के विरुद्ध अधिवक्ता का यह कहना रहा है कि उक्त प्रकरण में एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं क्योंकि

कथानक में ही ऐसा कोई तथ्य नहीं बताया गया है कि डकैती का प्रयास या देरी के लिये आरोपी रामू और विनोद तोमर के द्वारा अमृतलाल की लायसेन्सी बंदूक मय कारतूसों के ले जाई जा रही थी। न ही भा०द०वि० की किसी धारा का अपराध बताया गया है। इसलिये उक्त मामले में धारा-11 सहपठित धारा-13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० का मामला नहीं बनता है जिसका विद्वान ए०जी०पी० ने विरोध किया। और यह कहा कि आरोप विरचित करते समय कोई आपत्ति नहीं की गई है इसलिये बचाव पक्ष यह आपत्ति लेने में सक्षम नहीं है।

8. चूंकि घटना दिनांक को घटनास्थल वाला स्थान दीखतन का पुरा थाना गोहद चौराहा के अंतर्गत आने पर विवाद नहीं है। और थाना गोहद चौराहा भिण्ड जिले की सीमा के अंतर्गत आता है। उक्त अधिनियम मध्यप्रदेश राज्य की सीमा क्षेत्र के लिये 16 अक्टूबर-1981 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होने के पश्चात मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 07 अक्टूबर-1981 को प्रकाशित होने से प्रभावशील हुआ है जो न्यायिक नोटिस का बिन्दु है। इसलिये यह तो प्रमाणित है कि घटना दिनांक को उक्त विशेष अधिनियम घटना वाले स्थल के संबंध में प्रभावी था। इसलिये पुलिस विभाग के उक्त धारा का इजाफा करने संबंधी आदेश की प्रति पेश न होने का भी कोई प्रतिकूल प्रभाव स्पष्ट प्रावधान होने से नहीं होगा।

9. जहाँ तक यह बिन्दु उठाया गया है कि धारा-25 आर्म्स एक्ट 1959 के अपराध के साथ एम०पी०डी०व्ही०पी०के० लागू नहीं होगा। इस संबंध में विधिक स्थिति को देखा गया। एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 की धारा-2 (ग) के मुताबिक उक्त अधिनियम की धारा-3 के तहत क्षेत्र घोषित किया जा सकता है जिसकी अधिसूचना का उपर उल्लेख किया गया है। तथा उक्त अधिनियम की धारा-2 (च) के मुताबिक - 'विनिर्दिष्ट अपराध' अभिप्रेत है-

(एक) अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई अपराध जो धारा-3 के अधीन घोषित क्षेत्र के संबंध में किया गया हो और जो डकैती या व्यपहरण किये जाने से का भागरूप हो या उससे उद्भूत होया उससे संसक्त हो।

10. उक्त अधिनियम के अंत में अनुसूची (चार) के मुताबिक-आयुध या गोला बारूद या विष्फोटक पदार्थ बनाना, प्रसंस्कृत करना या उनके बनाये जाने या प्रसंस्कृत किये जाने की प्रक्रिया का कोई भाग पूरा करना, उनका क्रय करना, विक्रय करना, व्ययन करना या उन्हें ले जाना या कब्जे में रखना। इस तरह से अवैध रूप से उक्त अधिनियम के प्रभावी क्षेत्र में आयुध का ले जाना या कब्जे में रखना उक्त अधिनियम के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसलिये प्रकरण में बचाव पक्ष का यह तर्क कि उक्त अधिनियम प्रकरण में प्रभावी नहीं है, स्वीकार योग्य नहीं है और यह निर्णीत किया जाता है कि आयुध अधिनियम के आपराधिक मामले में एम०पी०डी०व्ही०पी०के० 1981 के प्रावधान उक्त विधिक स्थिति मुताबिक लागू होंगे।

11. कथानक मुताबिक आरोपी अमृतलाल की लायसेन्सी 315 बोर की बंदूक बिना जिला दण्डाधिकारी की अनुज्ञा पत्र के रामूसिंह तोमर के कब्जे

से बरामद होना बताया गया है। और अभिलेख पर जो साक्ष्य आरोपी अमृतलाल के संबंध में पेश हुई है, उसमें प्र०आर० कल्याण शुक्ला अ०सा०-3 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 11.08.08 को थाना गोहद चौराहा में प्र०आर० के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अप०क०-97/08 धारा-25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोपी अमृतलाल बघेल पुत्र गंगासिंह बघेल से दिन के करीब 01.05 बजे एक लायसेन्स एन०पी० बोर रायफल का आरोपी अमृतलाल द्वारा स्वयं थाने पर आकर पेश करने पर उसने जप्त किया था और उसका प्र०पी०-6 का जप्ती पत्र बनाया था। तत्पश्चात दोपहर 01.05 बजे आरोपी अमृतलाल बघेल को प्र०पी०-5 का गिरफ्तारी पंचनामा बनाकर गिरफ्तार किया गया था जो कार्यवाही थाने पर ही की गई थी। प्र०आर० धर्मसिंह अ०सा०-2 ने उक्त कार्यवाही का समर्थन किया है। उसे यह जानकारी अवश्य नहीं है कि जप्तशुदा लायसेन्स कब से कब तक की म्याद के लिये वैध था। उसके मुताबिक पहले गिरफ्तारी की गई फिर जप्ती की गई। और कोई विरोधाभाष उक्त दोनों साक्षियों की अभिसाक्ष्य में नहीं आया है। आरोपी अमृतलाल ने धारा-313 द०प्र०सं० के तहत हुए परीक्षण में बंदूक का लायसेन्स उससे जप्त किये जाने से इन्कार किया है किन्तु गिरफ्तारी जाकर की है। और उसे रंजिशन झूठा फंसाया जाना बताया है किन्तु कोई रंजिश स्पष्ट नहीं की है कि उसकी किस रंजिश के कारण उसे अभियोजित किया गया है।

12. प्र०पी०-5 के गिरफ्तारी पंचनामा मुताबिक अमृतलाल की गिरफ्तारी, बंदूक के लायसेन्स की जप्ती पश्चात ही हुई है। इस संबंध में अ०सा०-2 के अभिसाक्ष्य का विरोधाभाष कि पहले गिरफ्तारी हुई या फिर जप्ती हुई, कोई तात्त्विक स्वरूप का न होने से महत्व नहीं रखता है। प्र०पी०-6 के जप्ती पत्र के संबंध में कोई तात्त्विक विषंगति न पाये जाने से प्र०पी०-6 का जप्ती पत्र प्रमाणित होता है जिससे यह प्रमाणित हो जाता है कि अमृतलाल बघेल के पास उक्त बंदूक का लायसेन्स एन०पी० बोर रायफल क्रमांक-एबी०४/०५१९ था जिसकी म्याद 31.12.08 तक वैध थी। अर्थात् घटना दिनांक को प्र०पी०-4 के जप्ती पत्रक मुताबिक आरोपी रामू तोमर से जप्त बताई गई बंदूक आरोपी अमृतलाल की लायसेन्सी होना उससे प्रमाणित होता है। क्योंकि उसके खण्डन में कोई साक्ष्य नहीं है।

13. धारा-29 आयुध अधिनियम के प्रावधान मुताबिक यह बताया गया है कि जानते हुए अनुज्ञप्ति रहित व्यक्ति से आयुध आदि क्रय करने के लिये या आयुध आदि ऐसे व्यक्ति को परिदत्त करने के लिये जो उन्हें कब्जे में रखने का हकदार न हो। दण्ड जो कोई

क- किसी अन्य व्यक्ति से ऐसे वर्ग या वर्णन के कोई भी अग्न्यायुध या कोई भी अन्य आयुध जैसे विहित किये जायें, या कोई गोलाबारूद यह जानते हुए क्रय करेगा कि ऐसा अन्य व्यक्ति धारा-5 के अधीन अनुज्ञप्त या प्राधिकृत नहीं है, या

ख- कोई आयुध या गोलाबारूद किसी अन्य व्यक्ति के कब्जे में पहले से इस बात का अभिनिश्चय किये बिना परिदत्त करेगा कि ऐसी अन्य व्यक्ति

उन्हें इस अधिनियम या किसी अन्य तत्समय प्रवृत्त विधि के आधार पर अपने कब्जे में रखने का हकदार है और अपने कब्जे में रखने से इस अधिनियम या ऐसा अन्य विधि द्वारा प्रतिसिद्ध नहीं है, वह कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष की हो सकेगी, या जुर्माने से, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

14. धारा-30 के मुताबिक— अनुज्ञप्ति या नियम के उल्लंघन के लिये दण्ड—जो कोई अनुज्ञप्ति की किसी शर्त का या इस अधिनियम के किसी उपबंध का या तदधीन बनाये गये किसी नियम का उल्लंघन करेगा, जिसके लिये इस अधिनियम में अन्यत्र कोई दण्ड उपबंधित नहीं है, वह कारावास से जिसकी अवधि छः मास तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से दण्डनीय होगा।

15. इस तरह से अभिलेख पर रामू तोमर के पास 315 बोर की बंदूक रखने और विनोद तोमर के पास 315 बोर का जीवित कारतूस होना प्रकट नहीं किया गया है। इसलिये प्रकरण में यह देखना होगा कि क्या आरोपी रामू 315 बोर की चालू बंदूक मय जीवित कारतूसों के एवं विनोद 315 बोर के जीवित कारतूस वगैरै वैध अनुज्ञप्ति के अपने आधिपत्य व संज्ञान में रखे हुए पाया गया अथवा नहीं। उसी पर पूरा मामला निर्भर करेगा।

16. प्रकरण में जप्तशुदा बंदूक व कारतूस की जांच करने वाले आरक्षक आर्म्स मुहर्रिर सुरेश दुबे अ0सा0-7 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह दिनांक 19.06.08 को पुलिस लाईन भिण्ड में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना गोहद चौराहा के अप0क0-97/08 धारा-11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट और धारा-25/7 आर्म्स एक्ट में जप्तशुदा एक 315 बोर की रायफल तथा 315 बोर के नौ राउण्डों की जांच उसने की थी। राउण्डों के बैरल पर अंग्रेजी में एबी04/0519 लिखा था जिसका एक्शन चैक किया था जो सही पाया गया था। रायफल चालू हालत में थी और उससे फायर किया जा सकता था। तथा जो नौ राउण्ड जांच में प्राप्त हुए थे, वह सभी जीवित होकर फायर किये जाने योग्य थे जिनकी पैदी पर 8एमएमकेएफ लिखा हुआ था। थाना गोहद चौराहा के आरक्षक क्रमांक-861 धर्मसिंह के द्वारा थाना प्रभारी की तहरीर एफ0आई0आर0, जप्ती पत्र की नकल सहित रायफल एक सफेद कपड़े में सीलबंद अवस्था में और कारतूस सीलबंद अवस्था में जांच हेतु प्राप्त हुए थे। जांच पश्चात उसने रायफल व कारतूसों को सीलबंद कर शास्त्रागार में जमा किये थे। और उसने प्र0पी0-11 की जांच रिपोर्ट तैयार की थी। उक्त साक्षी को यह जानकारी नहीं है कि जो शस्त्र जांच के लिये आये थे, उनकी सील पर किसके हस्ताक्षर थे, कौनसी तारीख पड़ी थी। शस्त्र का लायसेन्स उसके समक्ष नहीं लाया गया था। उसने यह भी स्वीकार किया है कि प्र0पी0-11 की जांच रिपोर्ट पर उसने नमूना सील नहीं लगाई है तथा अपराध क्रमांक और धारा का उल्लेख भी उसने नहीं किया था। जांच उपरान्त शस्त्र पुलिस लाईन के शास्त्रागार में जमा किये थे। जो कारतूस जांच को आये थे उनसे फायर करके नहीं देखा था। इस बात से उसने इन्कार किया है कि थाना प्रभारी के कहने पर झूठी रिपोर्ट तैयार की है।

17. जांच के संबंध में आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि जांच औपचारिक स्वरूप की है और विधिवत नहीं की गई है क्योंकि प्र0पी0-11 की जांच रिपोर्ट पर जांच के उपरान्त उक्त आरक्षक मुहर्रिर द्वारा शस्त्रों को सीलबंद करना तो बताया है किन्तु सील नमूने को रिपोर्ट पर अंकित नहीं किया है इसलिये जांच वैधानिक नहीं है। प्र0पी0-11 के बी से बी भाग में सफेद कपड़ा में सीलबंद चपड़ी से सील कर उस पर अपराध क्रमांक व धाराएँ लिखे होने का उल्लेख है जिससे अ0सा0-7 इन्कार करता है जिसके संबंध में विशेष लोक अभियोजक का यह तर्क है कि जिस कपड़े में शस्त्र सीलबंद होकर आये थे उसी में उक्त साक्षी द्वारा सील किये गये होंगे। इसलिये उसने स्वयं अलग से नहीं लिखा क्योंकि थाने से ही अपराध क्रमांक और धारा का उल्लेख आता है। तथा उक्त साक्षी को भी जिस कपड़े में रायफल और कारतूस सीलबंद प्राप्त हुए उस पर अपराध क्रमांक और धारा का उल्लेख था इसलिये जांच रिपोर्ट वैधानिक होकर ग्राह्य योग्य है।

18. प्र0पी0-11 का अवलोकन किया गया जिसमें थाना गोहद चौराहा से प्राप्त हुई तहरीर का भी उल्लेख है और उसमें रायफल सफेद कपड़े में सीलबंद चपड़ी की सील लगी होने, उस पर थाना प्रभारी के हस्ताक्षर होने, अपराध क्रमांक व धारा का उल्लेख भी होने का विवरण प्र0पी0-11 के बी से बी भाग के ठीक उपर स्पष्टतः अंकित है जिससे यही उपधारित होगा कि जिस कपड़े में रायफल कारतूस सीलबंद होकर आये, जांच उपरान्त उसमें अ0सा0-7 के द्वारा सीलड किये गये। उसने अपनी जांच रिपोर्ट पर अपनी सील का नमूना अवश्य अंकित नहीं किया है किन्तु यह विषंगति तात्त्विक स्वरूप की नहीं मानी जा सकती है और उससे जांच रिपोर्ट प्रभावित नहीं होगी। इसलिये प्र0पी0-7 के अभिसाक्ष्य से प्र0पी0-11 की जांच रिपोर्ट प्रमाणित होती है और यह पाया जाता है कि जो रायफल व कारतूस आरोपी रामू और विनोद से जप्त होना, बताई गई रायफल चालू अवस्था में व कारतूस जीवित होकर फायर योग्य थे और प्रकरण में मूलतः यह देखा जाना है कि क्या आरोपी रामू और विनोद से बताई गई जप्ती युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होती है या नहीं क्योंकि प्रमाण भार अभियोजन पर ही है।

19. अन्य परीक्षित साक्षियों में से गोपसिंह अ0सा0-6 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि वह थाना गोहद चौराहा पर आरक्षक के पद पर पदस्थ था। और दिनांक 04.06.08 का रोजनामचासान्हा रजिस्टर लेकर उसने इस आशय की साक्ष्य दी है कि प्र0पी0-9 व 10 की रोजनामचासान्हा में प्रविष्टि की गई थी जिसकी नकल प्र0पी0-9 एवं 10 सी है। प्र0पी0-9 व 10 के संबंध में उक्त साक्षी से प्रतिपरीक्षा में कोई स्पष्टीकरण नहीं लिया गया है जिससे प्र0पी0-9 व 10 के रोजनामचासान्हा उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होते हैं। और प्र0पी0-10 का रोजनामचासान्हा क्रमांक-124 रवानगी का है जिसके मुताबिक दिनांक 04.06.08 के शाम करीब 6.20 बजे थाना गोहद चौराहा से थाना प्रभारी आशीषसिंह पंवार मय एएसआई आर0के0 शर्मा, प्र0आर0 कल्याण शुक्ला, आरक्षकगण जगरामसिंह, रामनिवास और मोहरसिंह के विवेचना सामग्री को लेकर प्राईवेट मोटरसाईकिल से थाने पर प्राप्त हुई मुखबिर की सूचना पर दर्ज रोजनामचा क्रमांक-123 की सूचना की

तश्दीक के लिये रवाना हुए थे। तथा रोड गस्त के पुलिस बल को मय वाहन के पिपाहडी रोड पर आने के लिये भी सूचित किया गया था। और प्र0पी0-9 के रोजनामचा वापिसी मुताबिक उक्त दिनांक को ही रात 8.00 बजे मय पुलिस बल के आरोपीगण रामसिंह तोमर, विनोदसिंह तोमर को उनसे जप्त बताई गई 315 बोर की रायफल क्रमांक-एबी04/0519 एवं 315 बोर के कुल नौ राउण्ड, एक बिल्डोरिया और एक पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एमबी-3483 के थाने वापिस आये और वापिसी दर्ज की गई। तथा आरोपीगण को बंद हवालात किया। सामग्री एचसीएम के सुपर्द की।

20. इस तरह से प्र0पी0-9 व 10 के रोजनामचासान्हा को उक्त साक्षी द्वारा प्रमाणित किया गया है जिससे पुलिस बल के रवानगी वापिसी की पुष्टि होती है। और अब मूलतः यही देखना है कि क्या रामू और विनोद को बताये गये स्थान से पकड़ा गया और क्या उनसे रायफल व मोटरसाईकिल की जप्ती हुई या नहीं।

21. इस संबंध में परीक्षित साक्षियों में से थाना गोहद चौराहा के तत्कालीन थाना प्रभारी आशीष सिंह पंवार अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 04.06.08 को वह थाना गोहद चौराहा में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को मुखबिर की इस आशय की सूचना प्राप्त हुई थी कि दो बदमाश अवैध बंदूक लेकर रेल्वे क्रॉसिंग से गोहद चौराहा की ओर आने वाले है जिसे रोजनामचासान्हा क्रमांक-123 पर दर्ज किया गया और रोजनामचासान्हा क्रमांक-124 पर मय फोर्स के आवश्यक सामग्री के सूचना की तश्दीक के लिये वह रवाना हुआ था जो प्र0पी0-10 सी है। रेल्वे क्रॉसिंग पर पहुंचने के उपरान्त दो लडके काले रंग की पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एमबी-3483 से पिपाहडी की ओर से गोहद चौराहा की तरफ आते हुए दिखे जिनमें से एक लडका बंदूक लिये था। दूसरा मोटरसाईकिल चला रहा था जिन्हें रोककर चैक करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने मोटरसाईकिल नहीं रोकी और ग्वालियर रोड की ओर मोटरसाईकिल से भागे जिनका उन्होंने निजी वाहनों से पीछा किया तो वे दीखतन का पुरा की ओर खेतों में भागे जिन्हें पुलिस बल की मदद से घेरकर पकड़ा और उनसे नाम पते पूछे तो उन्होंने अपने नाम पते बताये। रामू के पास 315 बोर की बंदूक थी जिसे चैक किया तो उसकी कमर में एक जिन्दा कारतूस 315 बोर का तथा तीन जिन्दा कारतूस मैगजीन में पाये गये। बंदूक के उपर ए0बी004/0579 नंबर लिखा था।

22. इसी साक्षी का यह भी कहना है कि रामू से बंदूक के लायसेन्स के बारे में साक्षी आरक्षक रामनिवास और मनोज के समक्ष पूछा गया तो उसने लायसेन्स न होना बताया तब उक्त गवाहों के समक्ष रामू के कब्जे से एक बंदूक मय जिन्दा चार कारतूसों के जप्त कर प्र0पी0-4 का जप्ती पंचनामा बनाया गया। व विनोद के कब्जे से एक बिल्डोरिया फौजी कलर की जिसमें पांच जिन्दा कारतूस 315 बोर के थे जिसका भी उनके पास कोई लायसेन्स आदि नहीं था जिन्हें भी उक्त साक्षियों के समक्ष विनोद से पांच जिन्दा कारतूस 315 बोर के एवं एक पल्सर मोटरसाईकिल

क्रमांक-एम0पी0-07 एमबी-3483 को प्र0पी0-3 का जप्ती पत्रक बनाकर जप्त किया था। तथा रामू को प्र0पी0-1 व विनोद को प्र0पी0-2 का गिरफ्तारी पत्रक बनाकर उक्त साक्षियों के समक्ष गिरफ्तार किया गया था।

23. इसी साक्षी ने यह भी बताया है कि मौके पर जप्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही करने के पश्चात वे थाने वापिस आये थे और रोजनामचासान्हा क्रमांक-125 प्र0पी0-9 सी पर वापिसी दर्ज की थी। तथा रामू और विनोद के विरुद्ध अप0क्र0-97/08 धारा-25/27 आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट की एफ0आई0आर0 प्र0पी0-11 उसने दर्ज की थी। तथा मनोज शुक्ला व रामनिवास शर्मा के उसी दिन उनके बताये अनुसार कथन लेखबद्ध किये गये थे। अग्रिम विवेचना प्र0आर0 कल्याण शुक्ला के सुपुर्द की थी। उक्त आशय का अभिसाक्ष्य मुख्य परीक्षण में आरक्षक मनोज शुक्ला अ0सा0-1 और आरक्षक रामनिवास दीक्षित अ0सा0-5 ने भी दिया है।

24. आशीष सिंह पंवार अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में पैरा-4 में यह स्वीकार किया है कि उसे जो मुखबिर की सूचना मिली थी वह शाम करीब 6-7 बजे के आसपास मिली थी और उससे संबंधित रोजनामचासान्हा प्रकरण में पेश नहीं किया गया है। लेकिन इस बात से इन्कार किया है कि उसे वास्तव में कोई सूचना नहीं मिली इसी कारण सूचना संबंधी रोजनामचासान्हा पेश नहीं किया गया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि थाने पर शासकीय चार पहिया का वाहन रहता है किन्तु घटना दिनांक को उसके पास संग्रामसिंह तोमर की पल्सर मोटरसाईकिल थी जिससे वह गया था और अन्य लोग दूसरी मोटरसाईकिल से गये थे जिनकी मोटरसाईकिल का नंबर उसे याद नहीं है न ही रोजनामचासान्हा में उनका उल्लेख किया है। उसने दोनों आरोपीगण को प्रथम बार रेल्वे क्रॉसिंग गोहद चौराहा पर देखा था और पांच किलोमीटर तक पीछा किया था। तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसने घटनास्थल का कोई नक्शा तैयार नहीं किया है। दोनों आरोपी रामू व विनोद पिपाहडीहेट की ओर से गोहद चौराहा की तरफ आये थे।

25. इस साक्षी ने पैरा-5 में यह भी कहा है कि थाने से उसके निकलने और आरोपीगण को पकड़ने के मध्य करीब आधा घण्टे का समय लगा होगा। आरोपीगण को मोटरसाईकिल के साथ रोड से करीब एक खेत अंदर जाकर दीखतन के पुरा के बाहर खाली जगह में पकड़ा था जहाँ से गांव के मकान दिखाई देते हैं और नजदीक हैं तथा खेत खाली थे। लेकिन आरोपीगण की गिरफ्तारी के समय गांव के लोग आते-जाते दिखाई नहीं दिये थे। यह भी स्वीकार किया है कि दीखतन का पुरा गांव के किसी व्यक्ति को जप्ती व गिरफ्तारी का साक्षी नहीं बनाया है और इस बात से इन्कार किया है कि जो साक्षी बनाये गये हैं वे उसके अधीनस्थ कर्मचारी होने के कारण ही उन्हें साक्षी बना लिया है। इस बात से इन्कार किया है कि आरोपी रामू और विनोद को ग्राम दीखतन का पुरा से गिरफ्तार नहीं किया न ही उनके कब्जे से बंदूक जप्त की गई है। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि जो बंदूक रामू के कब्जे से जप्त बताई गई वह

अमृतलाल के घर से वह लेकर आया और रामू को झूठा फंसा दिया है।

26. उक्त साक्षी अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह भी बताया है कि मौके पर उसके साथ पुलिस बल के 7-8 लोग थे जिनका उल्लेख रोजनामचासानहा में रवानगी में किया है। उसके साथ ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा, प्र0आर0 कल्याण शुक्ला, आरक्षक जगराम, रामनिवास, मनोज शुक्ला के नाम याद हैं और नाम उसे याद नहीं हैं। सभी के नाम रोजनामचासानहा में नहीं लिखे थे। कुछ फोर्स पूर्व से गस्त के लिये लगा था जिनके नाम नहीं लिखे थे। उन्हें केवल घटनास्थल पर पहुंचने की सूचना देने का उल्लेख किया था। आरोपीगण पहले गोहद चौराहा की ओर फिर ग्वालियर रोड की तरफ भागे थे। यह स्वीकार किया है कि भिण्ड ग्वालियर रोड पर आवागमन बना रहता है और रोड चालू था। विनोद से कारतूस की विल्डोरिया के संबंध में पूछताछ की थी। पहले रामू की बंदूक कब्जे में ली थी फिर उसे गिरफ्तार किया था। उसके बाद ए0एस0आई0 आर0के0 शर्मा को बंदूक दी थी। विनोद से जप्त कारतूस किसे दिया, यह उसे याद नहीं है। यह स्वीकार किया है कि प्र0पी0-3 व 4 में रोजनामचासानहा का उल्लेख नहीं किया है और गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-1 के सरल क्रमांक-8 में कब्जे से मिली वस्तुओं के विवरण का उल्लेख नहीं किया है। उक्त कॉलम में ऐसा भी लेख नहीं किया गया है कि जप्ती पंचनामा अनुसार बंदूक जप्त की गई।

27. इसी प्रकार प्र0पी0-2 के जप्ती पंचनामा के सरल क्रमांक-8 के संबंध में उसका कहना है कि उसमें एक बंदूक 315 बोर तथा पांच पीतल के राउण्डों का उल्लेख है और जप्ती गिरफ्तारी की कार्यवाही के बाद मनोज शुक्ला व रामनिवास के कथन लेखबद्ध किये थे। उसके बाद केसडायरी प्र0आर0 कल्याण शुक्ला को दी थी। पैरा-11 में उसका यह भी कहना है कि जप्ती पंचनामा में सील नमूना अंकित नहीं किया है। तथा बंदूक की लंबाई एवं सीलिंग के रंग का उल्लेख नहीं किया है। यह भी कहा है कि उसे रामनिवास दीक्षित अ0सा0-5 ने कथन देते समय आरोपीगण की छीमका के आगे एवं विनोद सिंह द्वारा मोटरसाईकिल चलाने वाली बात नहीं बताई थी।

28. जप्ती गिरफ्तारी के पंच साक्षी आरक्षक मनोज शुक्ला अ0सा0-1 के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य के पैरा-3 में पुलिस बल में गये लोगों के नाम बताते हुए उसने गाडी का ड्रायवर भारतेन्दु तथा प्र0आर0 रविन्द्र भदौरिया के नाम भी बताये हैं और यह कहा है कि मौके पर जब पकड़ा तब वहाँ चरवाहे पशु नहीं चरा रहे थे न कोई आ जा रहा था। रेल्वे क्राँसिंग पर शाम करीब छः बजे पहुंचे थे और वापिसी करीब आठ बजे रात को थाने पर आकर की थी। थाने से रेल्वे क्राँसिंग की दूरी उसने करीब एक डेढ़ किलोमीटर बताते हुए कहा है कि रेल्वे क्राँसिंग से रास्ता खराब होने के कारण करीब बीस मिनट का समय लगा था। घेराबंदी करके सभी ने रामू, विनोद को पकड़ा था। किसने किसको पकड़ा वह यह नहीं बता सकता। सबसे पहले दरोगा जी द्वारा नाम पते पूछे गये थे फिर लायसेन्स के बारे में पूछा गया था फिर गाडी के कागजात के बारे में पूछा गया था। विवेचना अधिकारी ने सबसे

पहले कौनसा कागज लिखा, वह यह नहीं बता सकता। लेकिन जप्ती पर उसने पहले हस्ताक्षर किये थे जिसमें पहले विनोद से जप्ती हुई थी, बाद में रामू से जप्ती की थी। और विनोद को गिरफ्तार किया फिर रामू को गिरफ्तार किया था।

29. इस साक्षी ने प्र0डी0-1 के बयान में विल्डोरिया का कलर फिरोजी बताया था, यदि न लिखा हो तो वह हो सकता है कि भूल गया हो या दरोगा जी लिखने से भूल गये होंगे। इस बात से इन्कार किया है कि पूरी कार्यवाही थाने पर बैठकर हुई है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि मुखबिर की सूचना कब मिली। इस बात से इन्कार किया है कि उसे दरोगा जी ने सूचना नहीं दी और रेल्वे कॉसिंग पर लेकर नहीं गये। उसका यह भी कहना है कि जप्त बंदूक लायसेन्सी थी लेकिन उसने भी इस बात से इन्कार किया है कि बंदूक अमृतलाल के घर से लेकर आये। उसका यह भी कहना है कि रोड से करीब पचास कदम की दूरी पर आरोपीगण मोटरसाईकिल छोड़कर भागे थे। उन्होंने जुते हुए खेत में मोटरसाईकिल घुसेड दी थी और ले गये थे जिससे गाडी बंद हो गयी थी इसलिये छोड़कर भागे थे जिसे खेत से पकड़ा। उसका मालिक कौन था यह नहीं बता सकता। उसका यह भी कहना है कि बंदूक सीलबंद करने के उपरान्त उस पर सील भी लगाई गई थी। इस बात से उसने इन्कार किया है कि वरिष्ठ अधिकारियों के दबाव में वह झूठा कथन दे रहा है। अंत में उसका यह भी कहना है कि बंदूक जप्त करने के पहले खाली बिना कारतूस के उसने चलाकर देखी थी जो चालू हालत में थी। इसी तरह का अभिसाक्ष्य रामनिवास अ0सा0-5 के द्वारा भी दिया गया है।

30. रामनिवास अ0सा0-5 का भी कहना है कि उसे दरोगाजी ने मोबाईल पर सूचना दी थी। उसने पैरा-3 में अपना मोबाईल नंबर भी बताया और सूचना शाम करीब छः बजे देना बताया है। फिर वे सभी चार मोटरसाईकिलों से गये थे और थाने से करीब सवा छः बजे निकले थे। पूरी कार्यवाही में करीब दो घण्टे का समय लगा था। उसने भी यह बताया है कि नक्शामौका नहीं बनाया गया था। उसके मुताबिक आरोपीगण मोटरसाईकिल भिण्ड ग्वालियर मुख्य मार्ग पर छोड़कर गये थे और पैदल पैदल खेतों में भागे थे जिन्हें उन्होंने पकड़ा था। किस आरोपी को किसने सबसे पहले पकड़ा, यह बताने में उसने असमर्थता व्यक्त की है। उसके मुताबिक भी बंदूक जप्त करने के बाद प्र0आर0 कल्याण शुक्ला को दरोगा जी ने सौंपी थी जिन्होंने थाने में जमा की थी। उसके मुताबिक सबसे पहले रायफल की जप्ती हुई और उस पर मनोज के हस्ताक्षर हुए थे, उसके बाद उसने किये थे। रायफल कारतूस की जप्ती के बाद विनोद की तलाशी ली गई थी जिसकी कमर में फौजी कलर का बिल्डोरिया जिसमें पांच जिन्दा 315 बोर के कारतूस थे और पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एमबी-3483 को जप्त किया गया था जिसका प्र0पी0-3 का जप्ती पंचनामा बनाकर उस पर भी पहले मनोज के हस्ताक्षर हुए थे फिर उसने किये थे। मोटरसाईकिल को उनका फोर्स थाने लेकर आया। प्रत्येक जप्ती पंचनामा की कार्यवाही में करीब पन्द्रह मिनट का समय लगा था।

31. इसी साक्षी ने पैरा-5 में यह भी कहा है कि बंदूक का लायसेन्सधारी अपने पास बंदूक रखता है तथा वही कारतूस व विल्डोरिया रखता है। दरोगा जी ने आने जाने वालों को उसके सामने नहीं रोका था। मोटरसाइकिल का इंजिन व चैसिस नंबर उसने बताने में असमर्थता व्यक्त की है। उसने प्र0डी0-1 के कथन में आरोपीगण के छीमका के आगे एवं विनोद सिंह के मोटरसाइकिल चलाने वाली बात लिखाई थी। तथा पैरा-6 में यह भी बताया है कि उसके सामने रामू से जप्त बंदूक को सीलबंद नहीं किया गया था। रामू से एक राउण्ड कमर में व तीन राउण्ड मैगजीन में थे, वही जप्त हुए थे। इसके अलावा रामू से और राउण्ड जप्त नहीं हुए। आरोपीगण ने उसके सामने लायसेन्स पेश नहीं किया था इसलिये वह नहीं बता सकता कि बंदूक लायसेन्सी थी या नहीं थी। बाद में विवेचना में पता चला था कि रामू से जप्त बंदूक अमृतलाल की थी। लेकिन उसने इस बात से इन्कार किया है कि अमृतलाल के घर से बंदूक उठा लाये थे और झूठा प्रकरण बनाया है। उसने यह भी स्वीकार किया है कि उसके सामने कारतूस सीलबंद नहीं किये गये थे लेकिन कारतूसों के पीछे पैदी पर 9 एमएमकेएफ लिखा होना उसने भी बताया है और बंदूक का क्रमांक भी बताया है जो कथानक में है। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि अमृतलाल का भाई अशोक बघेल है जो रामू का मित्र है। इस कारण रामू को झूठा फंसा दिया है।

32. अभियोजन की ओर से अंतिम तर्कों में विद्वान ए0जी0पी0 द्वारा यह व्यक्त किया गया है कि मौके पर कार्यवाही विधिसंगत की जाना और आरोपी रामू से 315 बोर की बंदूक एवं चार जिन्दा कारतूस तथा विनोद से विल्डोरिया सहित पांच जिन्दा कारतूस की बरामदगी मय मोटरसाइकिल के होना अ0सा0-1, अ0सा0-5, और अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित है। जो अमृतलाल की लायसेन्सी बंदूक थी जिसे अनाधिकृत रूप से रामू रखे था तथा कारतूस भी रामू और विनोद अनाधिकृत रूप से बिना लायसेन्स के रखे पाये गये हैं इसलिये आरोप प्रमाणित हैं और उन्हें दण्डित किया जावे। जबकि आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क किया गया है कि प्रकरण बनावटी है। घटना का स्वतंत्र साक्षी नहीं बनाया गया है जबकि जो अभियोजन के द्वारा साक्षी परीक्षित कराये गये हैं उन्होंने भिण्ड ग्वालियर राजमार्ग के पास में खेती से ही जप्ती व गिरफ्तारी बताई है जहाँ से ग्राम दीखतन का पुरा पास में ही था और स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध हो सकती थी। किन्तु जान-बूझकर स्वतंत्र आम जनता के व्यक्तियों को साक्षी नहीं बनाया गया है और अधीनस्थ पुलिस कर्मियों को ही साक्षी बनाया गया है इसलिये उनकी कार्यवाही दूषित है। तथा घटनास्थल का कोई नक्शामौका भी नहीं बनाया गया है जिससे इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि मौके पर वास्तविक कार्यवाही हुई। बंदूक व कारतूस सीलबंद न होना अ0सा0-5 के अभिसाक्ष्य से स्पष्ट होता है और जप्ती पत्रक पर कोई सील नमूना भी नहीं लगाया गया है। ऐसे में मौके की जप्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही वैधानिक नहीं मानी जा सकती है। इसलिये आरोपीगण के विरुद्ध कोई आरोप प्रमाणित नहीं होता है। उन्हें असत्य रूप से अभियोजित किये जाने के

कारण दोषमुक्त किया जावे।

33. जहाँ तक स्वतंत्र पंच साक्षियों का प्रश्न है, अभिलेख पर जो साक्ष्य आई है उसमें घटना सूर्यास्त के पश्चात की है तथा ग्राम दीखतन के पुरा में हार की ओर खेतों की बताई गई है। साक्ष्य में यह भी स्पष्ट रूप से आया है कि वहाँ जब आरोपीगण को पकड़ा गया था तब आसपास कोई नहीं था, न ही आवागमन हो रहा था, गांव दिखने की बात अवश्य बताई गई है। ऐसा तीनों साक्षी अ0सा0-1, अ0सा0-5 और अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य में आया है। अ0सा0-1 ने तो यहाँ तक बताया है कि वहाँ चरवाहे भी नहीं थे और न ही कोई आ जा रहा था। ऐसे में जप्ती, गिरफ्तारी की कार्यवाही के आम जनता के व्यक्तियों को पंच साक्षी न बनाये जाने से अभियोजन की कहानी को असत्य और कपोल-कल्पित निर्धारित नहीं किया जा सकता है। क्योंकि विधि में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि हर परिस्थिति में आम जनता के व्यक्ति पंच साक्षी हों। बल्कि वैधानिक स्थिति के मुताबिक जिस प्रकार से आम आदमी को साक्षी के रूप में ग्रहण किया जाता है उसी प्रकार से पुलिस साक्षी को भी ग्रहण किया जाना चाहिए। जैसा कि न्याय दृष्टांत **कर्मजीतसिंह विरुद्ध स्टेट 2003 वोल्यूम-5 एस0सी0सी0 299 एवं रोशनसिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ़ एम0पी0 2005 भाग-1 एम0पी0एल0जे0 पेज-292** में सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है। इसलिये गांव के व्यक्तियों का पंच साक्षी न होने का दुष्प्रभाव प्रकरण में नहीं माना जा सकता है।

34. जहाँ तक यह तर्क है कि पहले किसे पकड़ा गया, पहले कौनसे दस्तावेज की कार्यवाही हुई, इस संबंध में साक्षियों में कम भिन्नता आना स्वाभाविक है क्योंकि साक्षियों से चलचित्र की भांति प्रमाण की अपेक्षा नहीं की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता भिन्न भिन्न होती है और अभिलेख पर इस आशय की स्पष्ट साक्ष्य आई है कि पुलिस बल ने आरोपी रामू व विनोद को घेराबंदी करके पकड़ा था। ऐसे में किसे किसने पकड़ा और पहले किसे पकड़ा गया, यह बात गौण हो जाती है और इसका कोई विधिक महत्व नहीं है। प्र0पी0-1 लगायत 4 के दस्तावेज इस संबंध में महत्वपूर्ण हैं जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट है कि सबसे पहले आरोपी रामू तोमर से 315 बोर की बंदूक और एक राउण्ड चैम्बर में तथा तीन मैगजीन में कुल चार जीवित कारतूसों की जप्ती की गई जिसका प्र0पी0-4 का जप्ती पत्र शाम सात बजे, उसके बाद उसकी 07.15 बजे प्र0पी0-1 मुताबिक गिरफ्तारी हुई। तत्पश्चात आरोपी विनोद के कब्जे से पल्सर मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07 एमबी-3483 एवं पांच कारतूस प्र0पी0-3 के जप्ती पत्रक मुताबिक शाम 7.30 बजे की गई। तत्पश्चात उसकी गिरफ्तारी पंचनामा प्र0पी0-2 के द्वारा 7.45 बजे की गई है जिससे स्थिति स्पष्ट है। उक्त कार्यवाही अप0क्र0-0/08 के रूप में की गई है और रोजनामचासानहा रवानगी वापिसी से उसकी पुष्टि होती है। उक्त कार्यवाही के संबंध में अ0सा0-1, अ0सा0-5, एवं अ0सा0-8 की साक्ष्य में तात्त्विक स्वरूप की

विषंगतियाँ नहीं हैं क्योंकि जप्ती पत्र पर सील नमूना अंकित न होना तात्विक विरोधाभास नहीं माना जा सकता है।

35. अ0सा0-5 ने बंदूक और कारतूस सील्ड उसके सामने न होना पैरा-6 में अवश्य बताया है किन्तु उसके संपूर्ण अभिसाक्ष्य को देखते हुए वह जप्ती व गिरफ्तारी की कार्यवाही की तो पुष्टि करता है इसलिये उक्त स्वीकारोक्ति के आधार पर मौके की कार्यवाही संदिग्ध नहीं मानी जा सकती है।

36. घटनास्थल के बारे में स्थिति उक्त साक्षियों ने प्रतिपरीक्षा में दिये गये सुझावों पर स्पष्ट रूप से बताई है इसलिये नजरी नक्शामौका न बनाये जाने का भी कोई दुष्प्रभाव नहीं माना जा सकता है क्योंकि आम तौर पर पुलिस लडाईं झगड़े जैसे मामलों में नक्शामौका की कार्यवाही करती है इसलिये नक्शामौका का अभाव विधिक कमी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। ऐसा ही अ0सा0-1, अ0सा0-5, एवं अ0सा0-8 के अभिसाक्ष्य का सार रूप में विश्लेषण करने के उपरान्त प्र0पी0-1 लगायत 4 की कार्यवाही उनके अभिसाक्ष्य से पुष्टि योग्य है। अतः उनकी साक्ष्य पर अविश्वास नहीं किया जा सकता है न ही केवल इस आधार पर अविश्वास किया जा सकता है कि वे सभी पुलिस कर्मी होकर हितबद्धता रखते हैं। क्योंकि न्याय दृष्टांत **विनोद कुमार शुक्ला विरुद्ध म0प्र0 राज्य 1999 भाग-2 एम0पी0जे0आर0 पेज-247** के पद क्र0-12 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा यह मार्गदर्शित किया गया है कि अकेले पुलिस अधिकारी के कथन पर दोषसिद्धि आधारित की जा सकती है, यदि उसका कथन निष्पक्ष और विषंगतियों से दूर हो। हस्तगत मामले में विषंगतियाँ तात्विक स्वरूप की नहीं पाई गई हैं और अभिलेख पर ऐसा कोई बचाव पक्ष द्वारा तर्कपूर्ण आधार दर्शित नहीं किया गया है जिससे उनकी निष्पक्षता खण्डित होती हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्याय दृष्टांत **ताहिर विरुद्ध दिल्ली प्रशासन ए0आई0आर0 1996 सुप्रीमकोर्ट पेज-3079** में यह मार्गदर्शित किया गया है कि मात्र पुलिस अधिकारी के होने के कारण ही उसकी साक्ष्य अविश्वसनीय नहीं हो जाती है। यह साबित होना चाहिए कि क्यों झूठा बनाया जायेगा।

37. हस्तगत मामले में बचाव पक्ष की ओर से यह आधार लिया गया है कि अमृतलाल बघेल की लायसेन्सी बंदूक उसके घर से पुलिस ले आई और अमृतलाल बघेल के भाई अशोक की आरोपी रामू से मित्रता होने के कारण झूठा मामला बनाया है किन्तु अभिलेख पर इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं है न ही कोई बचाव साक्ष्य इस बिन्दु पर विश्वास योग्य पेश की गई है तथा यह भी स्पष्ट नहीं है कि अमृतलाल बघेल का कोई अशोक नाम का भाई है और रामू से उसकी मित्रता है। तथा पुलिस से उनकी किसी प्रकार की कोई बुराई-भलाई है इसलिये झूठा मामला बनाये जाने जाने के तर्क को कोई बल प्राप्त नहीं होता है।

38. प्रकरण में यह बिन्दु भी उठाया गया है कि आशीष सिंह पंवार अ0सा0-8 प्रकरण का परिवादी भी है और उसी के द्वारा विवेचना भी की

गई है इसीलिये कार्यवाही दूषित है। इस संबंध में उसके अभिसाक्ष्य को देखा जाये तो अ0सा0-8 द्वारा प्र0पी0-1 लगायत 4 की कार्यवाही मौके पर की गई तथा थाने पर आकर एफआईआर दर्ज की गई है। और जप्ती गिरफ्तारी के बनाये गये पंच साक्षी आरक्षक मनोज शुक्ला व रामनिवास शर्मा के कथन लेखबद्ध किये गये जो घटना दिनांक को ही लिये थे। अग्रिम विवेचना उसने प्र0आर0 कल्याण शुक्ला को सौंपी है जिसने आगे का अनुसंधान किया है जिसने जप्त आयुधों की जांच कराना, अभियोजन स्वीकृति प्राप्त करना और चालानी कार्यवाही इत्यादि करना शेष था। ऐसे में अवैधानिकता नहीं मानी जा सकती है। इस संबंध में न्याय दृष्टांत **स्टेट ऑफ पंजाब विरुद्ध जयपाल (2004) वोल्यूम-5 एस0सी0सी0 पेज-223** में यह अभिमत दिया गया है कि अनुसंधान करने वाले पुलिस अधिकारी द्वारा एफ0आई0आर0 लेख की हो तो कोई अवैधानिकता नहीं मानी जा सकती है।

39. योगेन्द्रसिंह कुशवाह अ0सा0-4 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि दिनांक 14.08.08 को जिला दण्डाधिकारी भिण्ड के कार्यालय में आर्म्स क्लर्क के पद पर पदस्थ था। तब पुलिस अधीक्षक भिण्ड के पत्र क्रमांक-341/08 दिनांक 19.06.08 द्वारा गोहद चौराहा के अप0क0-97/08 से संबंधित केसडायरी एवं सीलबंद शस्त्र प्र0आर0 गिरेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर उनका तत्कालीन जिला दण्डाधिकारी श्री सुहैल अली द्वारा अवलोकन करने के पश्चात अभियोजन चलाने की स्वीकृति आरोपी रामूसिंह व विनोद सिंह के विरुद्ध प्रदान की गई थी। और जप्तशुदा शस्त्र का वैध लायसेन्सधारी अमृतलाल बघेल था। दी गई स्वीकृति प्र0पी0-8 है जिस पर उसने तत्कालीन डी0एम0 भिण्ड के बी से बी भाग पर हस्ताक्षर बताये हैं तथा ए से ए भाग पर स्वयं के हस्ताक्षर बताये हैं और यह कहा है कि उनके अधीनस्थ कार्य करने से वह हस्ताक्षरों को पहचानता है। अभियोजन स्वीकृति के समय वैध लायसेन्स लाया गया था या नहीं, यह उसे याद नहीं है। इस बात से उसने इन्कार किया है कि उनके कार्यालय में रखे हुए प्रोफार्मा रहते हैं उन्हीं पर अभियोजन स्वीकृति दे दी जाती है। अन्य कोई तथ्य उसके अभिसाक्ष्य में नहीं आया है। उक्त साक्षी के अवलोकन से अभियोजन स्वीकृति प्रदान करने में डी0एम0 द्वारा न्यायिक विवेक का उपयोग किया जाना परिलक्षित होता है क्योंकि केसडायरी और सीलबंद शस्त्र का अवलोकन करना वह बताता है। उसके पश्चात स्वीकृति दी गई और स्वीकृति का कारण भी उल्लेखित किया है जिसमें इस बात का स्पष्ट विवरण है कि किस आरोपी से कौनसा शस्त्र जप्त हुआ है। ऐसे में प्र0पी0-8 की अभियोजन स्वीकृति अ0सा0-4 के अभिसाक्ष्य से प्रमाणित होती है। जो धारा-39 आयुध अधिनियम 1959 की मंशा के अनुरूप है।

40. जप्तशुदा 315 बोर की बंदूक एवं नौ कारतूसों, विल्डोरिया तथा मोटरसाईकिल के संबंध में साक्षियों के परीक्षण के दौरान आर्टिकल के रूप में पेश न होने संबंधी कोई भी आक्षेप बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है इसलिये यही उपधारित होगा कि जो परिस्थितियाँ जप्ती पत्रक

प्र०पी०-3 व 4 मुताबिक बताई गई है वह आरोपीगण विनोद और रामू से जप्त हुई और जप्त 315 बोर का शस्त्र लायसेन्स आरोपी अमृतलाल से प्र०पी०-6 मुताबिक जप्त हुआ जिससे इस बात की पुष्टि युक्तियुक्त संदेह से परे हो जाती है कि दिनांक 0406.08 को रामू से जप्त हुई 315 बोर की बंदूक क्रमांक-एबी०४-0519 का वैध लायसेन्सधारी आरोपी अमृतलाल बघेल था जिसने लायसेन्स की शर्तों का उल्लंघन करते हुए बंदूक उसे बिना डी०एम० की अनुमति के दी जिससे आरोपी अमृतलाल का कृत्य आयुध अधिनियम की धारा-29 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध होकर प्रमाणित होता है। और आरोपी रामू 315 बोर की बंदूक एवं चार जीवित कारतूस तथा आरोपी विनोद से पांच जीवित कारतूस बिना लायसेन्स के अपने कब्जे में रखे पाये गये हैं जिससे उनका अपराध आयुध अधिनियम 1959 की धारा-3 का उल्लंघन होकर धारा-25(1-ख)(क) के अंतर्गत दण्डनीय होकर अपराध प्रमाणित होता है।

41. बिन्दु क्रमांक-1 के विश्लेषण में यह भी पाया गया है कि घटना दिनांक को एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट 1981 प्रभावशील था जिसका उपर वर्णित प्रावधान अनुसार उपरोक्त प्रकार के आयुधों को अपने कब्जे में रखना उक्त अधिनियम में भी दण्डनीय है। इसलिये आरोपीगण का कृत्य धारा-11 सहपठित धारा-13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत भी दण्डनीय अपराध की श्रेणी में आता है। जिससे अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होता है। आरोपी अमृतलाल पर आयुध अधिनियम की धारा-30 का आरोप भी विरचित किया गया है जो उस स्थिति में प्रभावी होता है जब आयुध अधिनियम में अन्यथा कोई दण्ड की व्यवस्था न हो। जबकि मामले में अमृतलाल का कृत्य धारा-29 आयुध अधिनियम 1959 की परिधि में आता है इसलिये उक्त अधिनियम की धारा-30 के अंतर्गत दण्डित किये जाने की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः आरोपी अमृतलाल को धारा-30 आयुध अधिनियम के आरोप से दोषमुक्त करते हुए आयुध अधिनियम की धारा-29 एवं एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट की धारा-11/13 के आरोप में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। और आरोपी रामूसिंह व विनोदसिंह को धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अपराध में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। तथा आरोपीगण का कृत्य गंभीर प्रकृति का है। तथा उन्हें प्रकरण में धारा-325 या 360 द०प्र०सं० या अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा-3 या 4 के तहत लाभ दिया जाना न्यायसंगत न होने से दण्डाज्ञा पर सुने जाने के लिये निर्णय स्थगित किया जाता है।

(पी.सी. आर्य)

विशेष न्यायाधीश (डकैती)

गोहद जिला भिण्ड

पुनश्च:-

42. दण्डाज्ञा के प्रश्न पर आरोपीगण एवं ए०जी०पी० को सुना गया।

अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपराध की प्रकृति एवं परिस्थितियों पर चिंतन, मनन किया गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क है कि आरोपी रामू विकलांग है और ग्रामीण अशिक्षित होकर प्रथम अपराधी हैं। उनके विरुद्ध पूर्व की दोषसिद्धि का प्रमाण नहीं है इसलिये उन्हें केवल अर्थदण्ड से या चेतावनी देकर छोड़ दिया जावे। क्योंकि प्रकरण में वर्ष 2008 से वे सामना कर रहे हैं और करीब सात वर्ष का समय व्यतीत हो चुका है तथा वे न्यायिक निरोध में भी रह चुके हैं इसलिये न्यायिक निरोध की अवधि से दण्डित कर छोड़ दिया जावे। जबकि विद्वान ए0जी0पी0 का तर्क है कि अपराध डकैती विशेष अधिनियम का होकर साधारण स्वरूप का नहीं है और प्रकरण को विलंबित होने में आरोपीगण का भी आचरण रहा है इसलिये कड़ा दण्ड दिया जावे। क्योंकि हथियारों को अवैध रूप से रखने का प्रचलन भिण्ड जिले में अधिक है जिससे इस तरह की प्रवृत्ति पर लगाम लग सके।

43. उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर चिंतन, मनन किया गया। अभिलेख का अवलोकन कियागया। अपराध की परिस्थितियों के मुताबिक आरोपी अमृतलाल बघेल की लायसेन्सी बंदूक आरोपी रामू बिना अनुज्ञप्ति के डकैती प्रभावित क्षेत्र में रखे हुए पकड़ा गया था जो लोडेड थी तथा कारतूस भी पकड़े गये। आरोपी विनोद से भी कारतूस पकड़े गये थे जिससे उनकी आपराधिक मनः स्थिति को उपधारित किया जा सकता है। भिण्ड जिले में डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 इसी कारण प्रभावी किया गया है क्योंकि इस क्षेत्र में अवैध हथियारों को रखना, हथियारों का दुरुपयोग करना फैशन की तरह है इसलिये ऐसे अपराधों को साधारण श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। तथा जहाँ तक लंबे विचारण का प्रश्न है, आदेश पत्रिकाओं के अवलोकन से प्रकरण में आरोपीगण अनुपस्थित होते रहे हैं जिसकी वजह से प्रकरण विलंबित हुआ है इसलिये व्यतीत समयावधि के आधार पर कोई नरम रूख नहीं अपनाया जा सकता है। हालांकि यह सही है कि अभिलेख पर आरोपीगण के पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण न होने से उनके प्रथम अपराधी होने की पुष्टि होती है किन्तु जिस प्रकार के अपराध को अंजाम दिया गया है उसमें चेतावनी देकर या केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर नहीं छोड़ा जा सकता है। क्योंकि दोषसिद्ध अपराध में कारावास एवं अर्थदण्ड दोनों सजाएँ आवश्यक हैं। और अवैध रूप से हथियारों को धारण करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से यथोचित दण्डादेश दिया जाना आवश्यक पाया जाता है। फलतः वाद विचार आरोपीगण को निम्नानुसार दण्डित किया जाता है।

आरोपी का नाम	धारा	कारावास	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम की दशा में कारावास
रामू	धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम	दो वर्ष सश्रम	500/-रुपये	तीन माह साधारण
	11/13 एम0पी0 डी0व्ही0पी0के0 एक्ट	तीन वर्ष सश्रम	500/-रुपये	चार माह साधारण

विनोद	धारा-25(1-ख)(क) आयुध अधिनियम	दो वर्ष सश्रम	500/-रूपये	तीन माह साधारण
	11/13 एम0पी0 डी0व्ही0पी0के0 एक्ट	तीन वर्ष सश्रम	500/-रूपये	चार माह साधारण
अमृतलाल	11/13 एम0पी0 डी0व्ही0पी0के0 एक्ट	तीन वर्ष सश्रम	500/-रूपये	चार माह साधारण
	29 आयुध अधिनियम	एक वर्ष सश्रम	500/-रूपये	तीन माह

44. आरोपीगण की कारावास की दोनों सजाएँ एक साथ भुगतायी जावें।
45. आरोपीगण का सजा वारण्ट तैयार किया जावे जिनके साथ न्यायिक निरोध में काटी गई अवधि समायोजित किये जाने बाबत धारा-428 द0प्र0सं0 का प्रमाण पत्र संलग्न किया जावे।
46. आरोपीगण के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
47. प्रकरण में जप्तशुदा मोटरसाईकिल क्रमांक-एम0पी0-07एमबी-3483 पूर्व से ही पंजीकृत स्वामी सतीशसिंह की सुपुर्दगी में है तथा 315 बोर की रायफल क्रमांक-एबी04/0519 एवं नौ जीवित कारतूस वैध अनुज्ञप्तिधारी आरोपी अमृतलाल बघेल को जीवित व नवीनीकृत लायसेन्स होने की दशा में विधिवत वापिस किया जावे। अन्यथा स्थिति में विधिवत निराकरण के लिये डी0एम0 भिण्ड के कार्यालय में जमा किया जावे। तथा जप्तशुदा बिल्डोरिया कपडे की होकर मूल्यहीन होने से उसे विधिवत अपील अवधि पश्चात नष्ट किया जावे। अपील होने की दशा में अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
48. आरोपीगण को निर्णय की नकल निःशुल्क प्रदान की जावे। तथा एक प्रति डी0एम0 भिण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।

दिनांक: **27 मार्च 2015**

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर मेरे बोलने पर टंकित किया गया।
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य)
विशेष न्यायाधीश (डकैती)
गोहद जिला भिण्ड